

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यह पूर्ण एवं
व्यवहार दुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं
अवश्य लिखा जाये जिससे संविधा हो।



ग्राम : बुलीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/समबद्धता/2013/ 214

दिनांक: 24/4/13.

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कांक्र महाविद्यालय भिंड (9826232929) को सत्र 2013-14 के
लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए.-प्रवेश (आ.पा. हिन्दी, इतिहास, संस्कृत), अति.विषय- राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.
एस.-टी.- प्रवेश (आ.पा., गणित, भौतिकी, रसायन), अति.विषय- जूलॉजी बोटनी, कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम
कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंदाहरण प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण
समिति का गठन किया है :-

1. डॉ. विकेन बापट, आचार्य, समाजशास्त्र अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर (संयोजक) (9826217320)
2. डॉ. सी.पी. शिंदे, आचार्य, रसायन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर
3. डॉ. संजय गुप्ता, शा. एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वा.
4. डॉ. के. रत्नम, शा. एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष
निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर गांधी, गांधिजी शैक्षणिक/अशैक्षणिक

क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेस तथा
पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ण मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विद्युतियों का
प्रमाण एवं देतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंदाहरण अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये बिण्यानुसार
निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं
महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता
संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शालन के बिंदेशों का पालन सुविधित किया जा सकेगा।

गव्ज के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं दुआ है।
नियमानुसार अर्धवर्ष जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना
अविवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा
महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. /
मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतीलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्युजा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)